261

न्यायालय श्रीमान् म॰प्र॰राजस्व मंडल ग्वालियर म॰प्र॰

R 4322-I/14

श्री राम सेवक शर्मा अभि॰ द्वारा आज दि. 29-12-14 को प्रस्तुत

29-12-14
रीडर आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

29-12-14

1॰कोमल तनय मथुरा लोधी आयु 47 वर्ष
2॰भगत तनय मथुरा लोधी आयु 35 वर्ष
3॰रामगोपाल तनय मथुरा लोधी आयु 30वर्ष
4॰गनपत तनय मथुरा लोधी आयु 33 वर्ष
समस्त निवासीयान धजरई तहसील व जिला टीकमगढ म॰प्र॰ --- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1॰गजाधर तनय किशोरे लोधी आयु 60 वर्ष
2॰राजधर तनय किशोरे लोधी आयु 55 वर्ष
3॰स्वामी तनय किशोरे लोधी आयु 50 वर्ष
4॰ हरप्रसाद तनय किशोरेलोधी आयु 48 वर्ष
समस्त निवासीयान धजरई तहसील व जिला टीकमगढ म॰प्र॰ ---रेस्पो॰

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा-50 म॰प्र॰ भू॰रा॰संहिता

पुनरीक्षण याचिका प्रतिकूल न्यायालय अनुविभागीय अधिकारीटीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 153/अपील/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 10/11/14 के विरुद्ध ।

महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण की विनय निम्नानुसार है :-

1/- यहकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम एवं विधि के सर्वथा विपरीत है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

2/- यहकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तहसीलदार टीकमगढ द्वारा उनके प्रकरण 1/अ-70/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 25/3/13 के पारित आदेश को स्थिर रख कानूनी भूल की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—4322—एक/2014 जिला—टीकमगढ़

कोमल आदि विरूद्ध गजाधर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20—02—2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 153/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 10—11—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य	